| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 29.8.19 | पत्रावली पेश हुई P.O का कारण अवकाश में व्यस्त होने से अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 16/9/19 को पेश हो। |
| 16/9/19 | पत्रावली पेश हुई P.O या अन्य कार्यों में व्यस्त होने से अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 20/9/19 को पेश हो। |
| 20/9/19 | पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, प्रार्थना पत्र 212 पर बहस उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली पर सुनी गई, वास्ते आदेश दि० 27/9/19 को पेश हो। |
| 27/9/19 | पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 27/9/19 |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज॰)
पीठासीन अधिकारी– रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.

प्रा.पत्र संख्या :: 97/2016

1. रामनारायण पिता इसर जी कुम्हार निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
2. अम्बालाल पिता खेरिंग जी कुम्हार निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
3. कमला पिता खेरिंग जी कुम्हार निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पिता खेरिंग जी कुम्हार निवासी बलवन्तनगर तहसील बेगूँ
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय, बेगूँ विपक्षीगण

उपस्थित :: श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री एस.सी.टेलर
अधिवक्ता विपक्षीगण

आदेश दिनांक: 27.09.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

1– प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत मूल वादपत्र के साथ साथ अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार किया है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 1 व 2 के पुश्तैनी स्वामित्व आधिपत्य एवं संयुक्त कब्जे काश्त की निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है:–

(अ) ग्राम काटून्दा पटवार हल्का काटून्दा तहसील बेगूँ में वर्तमान जमाबंदी खतौनी संवत 2072–75 खाता संख्या 662 में :–

| आराजी संख्या | रकबा हैक्टर में |
|---|---|
| 443 | 0.3800 |
| 444 | 0.2200 |
| 448 | 0.6400 |
| 450 | 0.2200 |
| किता–4 | 1.4600 हैक्टर |

उक्त आराजीयात वर्तमान में रामनारायण पिता ईसर अम्बालाल रामलाल पिता खेरींग नन्दुबाई बेवा खेरींग हिस्सा 1/2 रामलाल पिता खेरींग हिस्सा 1/2 कुम्हार सा. देह के रूप में दर्ज है।

(ब) ग्राम बलवन्तनगर पटवार हल्का काटून्दा तहसील बेगूँ की वर्तमान जमाबंदी खतौनी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 82 में आराजी संख्या 1988/299 रकबा 1.55 हैक्टर भूमि जो ग्राम बलवन्तनगर पृथक से राजस्व ग्राम घोषित होने से पूर्व ग्राम काटून्दा की आराजी संख्या 1988/299 रकबा 1.55 हैक्टर भूमि थी।
यह कि ग्राम काटून्दा की उक्त कलम सं. 1 (अ) में वर्णित आराजीयात के भूप्रबंध पूर्व के आराजी संख्या 635, 637, 636, 645, 646, 647, 634, 633 एवं 648 किता–9 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि थे जिनमें हिस्सा 1/2 संवत 2025 से 28 की जमाबंदी खतौनी संख्या 8 में कालू पिता डूंगा कुम्हार के नाम व 1/2 हिस्सा ईसर केरिंग पिता दौला कुम्हार के नाम दर्ज रेकार्ड था। उपकलम (ब) में वर्णित बलवन्तनगर की उक्त

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

आराजी संख्या 1988/299 रकबा 1.55 हैक्टर भूमि के भूप्रबंध पूर्व की आराजी संख्या 174 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा (ग्राम काटून्दा) थे, जो भूप्रबंध पूर्व सम्वत 2025-28 की जमाबंदी खतौनी संख्या 34 में श्री कालू पिता डूंगा कुम्हार सा0 देह के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकाड थी।

प्रार्थी संख्या 1 रामनारायण पिता ईसर जी एवं प्रार्थी क्रमांक 2,3 व विपक्षी सं0 1 के पिता खेरिंग जी दोनो सगे भाई होकर दौला जी कुम्हार के पुत्र थे। इसको निम्नलिखित वंश वृक्ष से स्पष्ट किया जा रहा है:--

दौला
|
-------------------------------------------------
केरिंग उर्फ खेरिंग | इसर
| | |
------------------------- | रामनारायण
नंदू पत्नी, अम्बालाल, रामलाल, कमला

यह कि उक्त कलम सं0 2 में वर्णित ग्राम काटून्दा की भूप्रबंध पूर्व की आराजी संख्या 174 रकबा 03बीघा 4 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण व आराजी संख्या 635, 637, 636, 645, 646, 647, 634, एवं 648 किता-9 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि में का हिस्सा 1/2 को तत्कालीन खातेदार श्री कालू पिता डूंगा कुम्हार से दिनांक 28.03.1968 को निष्पादित एवं दिनांक 01.07.1968 को पंजीकृत विक्रय के माध्य से श्री खेरिंग इसर पिता दौलता कुम्हार (प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं0 1 के पूर्वज) ने किमतन खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। इस विक्रयपत्र के पंजीकरण पश्चात उक्त दोनो खरीददार के पक्ष में उक्त आराजी का नामान्तरण संख्या 142 (भूप्रबंधपूर्व) भी स्वीकृत हुआ। 1968 से 1970 के मध्य भूप्रबंध की कार्यवाही लम्बित होने से भूप्रबंध विभाग ने उक्त आराजी संख्या 174 रकबा 08 बीघा 4 बिस्वा से नवीन नम्बर 1988/299 रकबा 1.55 हैक्टर एवं आराजी संख्या 635, 637, 636, 645, 646, 647, 634, 633 एवं 648 किता 9 कुल रकबा 11बीघा 15 बिस्वा भूमि के नवीन नम्बर 442,444, 448 एवं 450 बनाते हुए आराजी संख्या 1988/299 सम्पूर्ण व शेष आराजीयात का हिस्सा 1/2 को डूंगा पिता मेघा कुम्हार (कालू पिता डूंगा के पिता) के नाम गलत रूप से अंकित कर दिया जबकि यह भूमि खेरिंग इसर पिता दौला की खरीद सुदा एवं स्वयं के खातेदारी की होकर नामान्तरण हो जाने से उनके नाम दर्ज होना चाहिए थी।

भूप्रबंध कर्मचारियो की गलती से भूप्रबंध पश्चात उक्त आराजीयात डूंगा वल्द मेघा कुम्हार के नाम दर्ज हो जाने पर नामान्तरण संख्या 772 से डूंगा के नाम दर्ज हिस्सा दुबारा डूंगा की विरासत के रूप में कालू के नाम दर्ज रेकार्ड की गई। उक्त भूमि गलत रूप से दुबारा कालू पिता डूंगा के नाम दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाते हुए विपक्षी सं0 1 ने चुपके से दिनांक 19.01.1987 की किसी फर्जी एवं बनावटी व अवैध रूप से तैयार की गई वसीयत के आधार पर राजस्व कर्मचारियों से मिल कर अपने अकेले के नाम दर्ज करा दी जो आज तक विपक्षी सं0 1 के नाम दर्ज चली आ रही है। जबकि मौके पर सम्पूर्ण परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्णित आराजीयात खेरिंग एवं इसर पिता दौलता की खरीसुदा व स्वयं के खातेदारी की होने से प्रार्थना पत्र की कलम सं0 4 में वर्णित सजरा अनुसार उक्त कलम सं0 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी क्रमांक 1 का हिस्सा 1/2 प्रार्थी क्रमांक 2 व 3 एवं विपक्षी सं0 1 एवं इनकी माता नंदुबाई का संयुक्त हिस्सा 1/2 बनता है। उक्त हिस्सा अनुसार ही सम्पूर्ण पैतृक कृषि आराजीयात कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि में विक्रय पश्चात कालू पिता डूंगा का कोई हक अधिकार शेष नहीं रहने से भूप्रबंध पश्चात खोले गये नामान्तरण संख्या 772 में की गई विरासत एवं ग्राम बलवन्तरगर व काटून्दा में जरिये अवैध वसीयत विपक्षी सं0 1 के नाम नामान्तरण की कार्यवाही प्रार्थी के अधिकारो के मुकाबले शुल्य एवं निःष्प्रभावी व अवैध कार्यवाही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि प्रार्थीगण ने दिनांक 30.06.2016 को विपक्षी सं0 1 को रेकार्ड में हुई उक्त अशुद्धियों को सुधार कर खाता सभी वारिसान के नाम हक अनुसार दर्ज कराने की कार्यवाही बाबत कहा तो उसने मना कर दिया एवं धमकियॉ दी कि उक्त भूमि को

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

मै खुर्द बंर्द कर दूंगा एवं जमीन में तुम्हे प्रवेश नहीं होने दूंगा, जो तुमसे बन पडे कर लेना, भूमि मेरे अकेले की है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। इस प्रकार की धमकियॉ दिये जाने से यदि उसने वास्तविकता में ऐसा कर दिया तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकार खतरे में पड जायेगें एवं प्रार्थीगण को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी जिससे विपक्षी सं0 1 को उक्त भू मि को किसी को भी हस्तान्तरण नहीं किये जाने एवं प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अति आवश्यक है। विपक्षी सं. 1 द्वारा भूमि अपने नाम गलत रूप से दर्ज करा लेने का नाजायज लाभ लेने की नियत से प्रार्थीगण को खाता सही कराने की कार्यवाही से मना कर भूमि खुर्द बुर्द कर देने व प्रार्थीगण को खाता सही कराने की कार्यवाही से मना कर भूमि खुर्द बुर्द कर देने व प्रार्थीगण को भूमि से बेकब्जा कर दने की धमकियॉ देने से यदि उसने अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव मं ऐसा कर दिया तो दोनो पक्षो के मध्य मुकद्मे बाजी बढेगी जबकि उसे ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है, इस प्रकार सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। तहसीलदार साहब ने विपक्षी संख्या 1 के द्वारा भूमि को किसी भी रूप में हस्तान्तरण करने या अन्यथा प्रकार से राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन कर दिया तो प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी जिससे उन्हें भी रेकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थीगण की प्रार्थना है कि उक्त वर्णित मौजा बलवन्तनगर की वर्तमान आराजी संख्या 1988/299 रकबा 1.55 हैक्टर एवं ग्राम काटून्दा की आराजी संख्या 442, 444, 448 एवं 450 किता 4 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर भूमि को विपक्षी संख्या 1 किसी को भी किसी भी रूप में हस्तान्तरित नहीं करं, प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे काश्त से उन्हें बेकब्जा नहीं करें एवं विपक्षी सं0 2 भूमि एवं रेकार्ड को किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं करें, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक के लिए प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान की जावें।

2— प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षी सं0 1 की ओर से मूल वाद पत्र में अधिवक्ता श्री एस.सी.टेलर द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के 1/2 एवं विपक्षी संख्या एक के 1/2 हिस्से में राजस्व रेकार्ड में दज होने का कथन सही है उप कलम (ब) वर्णित भूमि अकेले विपक्षी संख्या एक के स्वामित्व एवं कब्जे की होकर राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या एक के नाम दर्ज है। यह सही है कि उक्त आराजी संख्या 1988/299 पूर्व में काटून्दा ग्राम के रूप में दर्ज थी, किन्तु अब ग्राम बलवंतनगर के रूप में दर्ज है। आराजी संख्या 1988/299 से प्रार्थीगण का कोई सबंध नहीं है। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड से सिद्ध करें।

कलम एक की (अ) वर्णित राजस्व भूमि में प्रार्थीगण अपनी हिस्से की भूमि पर काबिज है। (ब) वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा एवं न ही वर्तमान मे है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वंशवृक्ष गलत एवं अपूर्ण दर्शाया गया है। स्व0 दौला का एक भाई डूंगा भी था जिसको वंशवृक्ष में बताया ही नहीं है। जहॉ तक प्रश्न दिनांक 28.03.1968 के तथाकथित पंजीकृत दिनांक 01.07.68 के विक्रयपत्र का प्रश्न है वह फर्जी होकर कूटरचित है। वस्तुतः आराजी संख्या 174 का कालु पिता डूंगा ने न तो निष्पादित एवं पंजीकृत कराया एवं न ही उक्त तथाकथित विक्रयपत्र कभी प्रभाव में आया। प्रार्थीगण के पास यदि उक्त विक्रयपत्र था तो उसको प्रभाव मं क्यों नहीं लाये। विक्रय वर्णित आराजी संख्या 174 की भूमि पर प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा एवं न ही इन्हें कभी कब्जा दिया गया। कब्जा विपक्षी रामलाल को जरिये वसीयत के प्राप्त हुआ एवं राजस्व रेकार्ड में उसकी पालना में नामान्तरण विपक्षी के पक्ष में हुआ, यदि प्रार्थीगण को भूमि का विक्रय होता तो प्रार्थीगण अवश्य कब्जा करें। प्रार्थीगण को वाद वर्णित कृषि भमि में निहित विपक्षी सं. एक के स्वामित्व एवं आधिपत्थ्य की भूमि में कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रार्थीगण खरीददार के हुआ तो उसका अंकन राजस्व रेकार्ड में क्यों नहीं हुआ।

प्रार्थीगण का आराजी पुरानी आराजी संख्या 174 एवं अब नवीन आराजी संख्या 1988/299 पर कभी कब्जा नहीं रहा शेष आराजीयात में प्रार्थीगण अपने हिस्से

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

की भूमियों पर काबिज है। कालू ने स्वेच्छा से विधि पूर्वक विपक्षी संख्या एक के पक्ष में विपक्षी की सेवाओ से प्रसन्न होकर वसीयत लिखी जिसका स्वयं प्रार्थीगण को जानकारी है। स्व0 कालू की मृत्यु उपरान्त विपक्षी ने उसके सारे धार्मिक एवं सामाजिक कियाकर्म सम्पादित किये समाज की जाजम पर राव रीति रिवाज अनुसार वसीयत के आधार पर ही प्रार्थीगण की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। यदि प्रार्थीगण के पास तथाकथित विक्रयपत्र था तो उसी समय उपस्थित कर सकता था, स्व0 कालू जी भूमि पुरानी आराजी संख्या 174 में प्रार्थीगण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आराजी संख्या 1988/299 को भूमि को विपक्षी के कब्जे से छीनना चाहते है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

प्रार्थना पत्र जवाब के विशेष कथन में निवेदन किया कि वाद वर्णित नवीन आराजी संख्या 1988/299 की कुलिया भूमि पर जरिये वसीयत से स्वामित्वधारी एवं कब्जे काश्त में हैं। इस भूमि को स्व0 कालू पिता डूंगा ने कभी विक्रय नहीं की तथाकथित पंजीकृत विक्रयपत्र में उक्त आराजी की पुरानी आराजी संख्या 174 का कभी कालू ने विक्रय नहीं किया एवं न ही क्रेतागण को कब्जा दिया गया। स्व0 कालू पिता डूंगा के जीवनकाल से ही लगभग 40–45 वर्षो से विपक्षी का कब्जा पुरानी आराजी संख्या 174 पर चला आ रहा है। इसलिये कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

यह कि पुरानी आराजी संख्या 174 नवीन आराजी संख्या 1988/299 पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा एवं न ही आज है। यदि प्रार्थीगण के पक्ष में पुरानी आराजी संख्या 174 का विक्रय तथाकथित पंजीकृत विक्रय है भी तो वह कब्जे के अभाव में विपक्षी संख्या एक के विरूद्ध शुन्य है। विपक्षी ने पुरानी आराजी संख्या 174 नवीन आ0सं0 1988/299 पर प्रार्थीगण का कभी स्वामित्व नहीं माना। गत 40–45 वर्षो से विपक्षी का ही कब्जा स्वतंत्र रूप से चला आ रहा है जो प्रार्थीगण के विरूद्ध तथाकथित विक्रय के कारण प्रतिकूल कब्जा विपक्षी का होना सिद्ध है। स्व0 कालू पिता डूंगा गांव बलवन्तनगर में नही रहता था वह उसके पिता के साथ गांव लाम्बाखोह में रहता था एवं उनके हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी काबिज थे तथा पुरानी आराजी संख्या 174 पर चूंकी वह कालू की स्वतंत्र भूमि थी, इसलिये पूर्णरूप से विपक्षी के कब्जे में अपने पिता के समय से चली आ रही थी। प्रार्थीगण का आराजी संख्या 174 पर न तो कभी कब्जा रहा एवं न ही आज है। स्व. कालू सन 2002 में ही मर गया एवं उसके मरने के बाद नवीन आराजी संख्या 1988/299 स्वतंत्र रूप से विपक्षी के स्वामित्व में है। नवीन आराजी संख्या 1988/299 गत 14 सालो से विपक्षी संख्या एक के स्वतंत्र रूप से कब्जे काश्त में एवं स्वामित्व में दर्ज है इसलिये रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध प्रार्थीगण को कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावें।

3– हमने विद्वार अधिवक्ताओं की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज पर मनन हमारे द्वारा किया गया।

4– प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम काटून्दा पटवार हल्का काटून्दा तहसील बेगूँ की वर्तमान जमाबंदी खतौनी सं0 2072–75 खाता संख्या 662 वर्तमान जमाबंदी में आराजी संख्या 443 रकबा 0.3800 हैक्टर, आराजी नं0 444 रकबा 0.2200 हैक्टर, आराजी नं0 448 रकबा 0.6400 हैक्टर, आराजी नम्बर 450 रकबा 0.2200 हैक्टर योग कुल किता– 4 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर इस आराजी में वर्तमान में रामनारायण पिता ईसर , अंबालाल रामलाल पिता खेरींग नंदुबाई बेवा खेरींग 1/2, रामलाल पिता खेरिंग हिस्सा 1/2 कुम्हार दर्ज है। ग्राम बलवन्तनगर पटवार हल्का काटून्दा तहसील बेगूँ की वर्तमान जमाबंदी खतौनी संवत 2072–75 खाता संख्या 82 में आराजी संख्या 1988/299 रकबा 1.55 हैक्टर भूमि जो ग्राम बलवन्तनगर श्री रामलाल पिता खेरिंग कुम्हार के नाम दर्ज है।

5– उपर वर्णित आराजी में वर्तमान खाता नं. 662 आराजी भूप्रबंधन के पूर्व आराजी संख्या के नंबर 635, 637, 636, 645, 646, 647, 634, 633,648 किता कुल 9 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा थी उक्त भूमि ईसर, खैरिंग पिता दौला 1/2, व कालू पिता डुंगा 1/2 के नाम राजस्व किोर्ड में दर्ज थी। जबकि दुसरा वर्तमान खाता नं. 82 वर्तमान

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

आराजी नम्बर 1988/299 रकबा 1.55 हैक्टर भूप्रबंधन पूर्व संवत 2055–28 की जमाबंदी में खतौनी संख्या 34 में पूर्व आराजी नंबर 174 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा श्री कालू पिता डुगा कुम्हार के नाम खातेदारी हक मे दर्ज रेकार्ड थी।

6– हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस ध्यानपूर्वक सुनी एवं सम्पूर्ण दस्तावेजो का भी अवलोकन किया गया। वर्तमान खाता नं. 662 के प्रभूबंधन पूर्व आराजी नं. 635, 637, 636, 645, 647, 634, 633, 648 व पूर्व आराजी नं. 174 का जरिए रजिस्टर्ड विक्रय नामा द्वारा कालू पिता डुंगा ने अपना हिस्सा ईसर व कैरिंग पिता दौला को बेचान कर दिया। यह बैचान नामा उपंजियन बेगूॅ द्वारा दिनांक 1.07.1968 को पंजीयन किया गया। इसी बेचाननामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 142 दिनांक 09.07.1968 को भरा गया जिसमें प्रविष्ठी संख्या 6 में (ए) आराजी नंबर 174 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा कालू पिता डुंगा (बी) कुल किता 9 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा ईसर कैरिंग पिता दौला 1/2, व कालू पिता डुंगा 1/2 (सी) आराजी नंबर 644 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि ईसर कैरिंग पिता दौला 1/4 व कालू पिता डुंगा 3/4 हिस्से से दर्ज थी। इसी प्रकार ईसर कैरिंग पिता दौला के नाम जरिए विकय रजिस्ट्रीकरण द्वारा नाम दर्ज हुआ। नामान्तरण की प्रविष्ठी संख्या 16 में लिखा गया कि " कालू पिता डुंगा ने अपनी आराजी 174 व खाता संख्या 7 किता 9 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा व खाता संख्या 644 का अपना निहित हिस्सा बेचान कर कब्जा दिया गया। अर्थात नामान्तरण संख्या 142 जिसके आधार पर कालु पिता डुंगा ने अपना हिस्सा ईसर, कैरिंग को जरिये रजिस्टर्ड बैचान से विकय कर दिया जिसका जरिए नामानतरण प्रक्रिया द्वारा ईसर, कैरिंग पिता दौलता का नाम दर्ज हो गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज के आधार पर डुंगा पिता मेघा आराजी संख्या 174 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा नामान्तरण संख्या 102 दिनांक 14.06.1968 को विरासत से डुंगा की बजाय कालू पिता डुंगा के नाम दर्ज हो गई। अर्थात डुगा पिता मेघा का जरिए विरासत कालू पिता डुगा के नाम दर्ज होने के कारण कालू पिता डुंगा ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा ईसर, कैरिंग पिता दौलता को बैचान कर दिया। जिसका नामान्तरण संख्या 142 द्वारा कालू पिता डुंगा की बजाय ईसर कैरिंग पिता दौलता का नाम दर्ज हो गया, इसको जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम काटुन्दा संवत 2025–28 मे 12.5.1972 को लिखा गया कि ईसर, कैरिंग पिता दौलता 1/2, कालू पिता डुगा 1/2 कुम्हार आराजी नं. 635, 637, 636, 645, 646, 648, 634, 633, 648 कुल किता 9 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा नार्मान्तरण संख्या 142 दिनांक 09.7.1968 को बिकाव से पुरा खाता ईसर–कैरिंग पिता दौलता कुम्हार के नाम दर्ज हुआ।

7– कालू पिता डुंगा का नाम जमाबंदी में भूप्रबंधन विभाग द्वारा गलती के कारण वापस रेकार्ड में आने से कालू पिता डुंगा ने अपनी सम्पूर्ण भूमि को वसीयत अपने भाई के लडके रामलाल पिता खेरिंग कुम्हार को कर दी। इसी वसीयत के आधार पर नामान्तरण संख्या 69 में आराजी संख्या 1988/299 रकबा 1.55 हैक्टर का कालू पिता डुंगा की बजाय रामलाल पिता खेरिंग के नाम रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर जमाबंदी में दर्ज हो गया।

8– विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा द्वारा विभिन्न नजीर पेश की गई सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ताओं की बहस का मनन किया गया।

9– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा की तीन पूर्व शर्त प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होना आवश्यक है।

(ए) प्रथम दृष्टया मामला ::

प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भूमि का जरिए रजिस्टर्ड बेचान नामा द्वारा कय की गयी। यह रजिस्टर्ड बेचान नामा 01.07.1968 को पंजीयन हुआ। इसी आधार पर नामान्तरण संख्या 142 के द्वारा प्रार्थी के पिता ईसर, खैरिंग पिता का नाम दर्ज हो गया था। उपर वर्णित भूमि का नामान्तरण संख्या 142 की कार्यवाही द्वारा प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज हो गयी थी एक बार भूमि का बेचान करने, नामान्तरण की कार्यवाही द्वारा नाम दर्ज होने के बाद भूप्रबंधन विभाग की लिपकीय या मानवीय भूल के कारण वापस भूमि पुनः कालू पिता डुगा के नाम दर्ज हो गया। कालू पिता डुंगा ने उक्त भूमि जिसमें उनका हिस्सा निहित था सम्पूर्ण वसीयत अपने भाई के लडके रामलाल पिता खैरिंग के नाम कर दी। यह रजिस्टर्ड वसीयत नाम उपपंजीयक बेगूॅ द्वारा दिनांक 1901.1987 को पंजीयन किया गया तथा इसी वसीयतनामा के आधार पर कालू पिता डुंगा के फौत

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला–चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधि...) बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

होने के बाद उक्त भूमि का नामान्तरण संख्या 69 द्वारा रामलाल पिता खैरिंग के नाम दर्ज हो गयी। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है, क्योंकि प्रार्थी के पिता ने उक्त भूमि का जरिए रजिस्टर्ड विक्रयनामा द्वारा खरीद की गई थी। एक बार किसी भूमि को किसी रजिस्टर्ड विक्रयनामा द्वारा बेचान करने एवं नामान्तरण की कायवाही होने के बाद जमाबंदी में नाम का अंकन होने के बाद विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पुनः कालू पिता डुगा का नाम दर्ज हो गया। इसका कालू पिता डुंगा ने गलत फायदा उठाकर अपने भाई के लडके को वसीयत कर दी थी जबकि उक्त भूमि को वो पहले ही ईसर व खैरिंग पिता दौलता को विक्रय कर चुके थे। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है।

(बी) अपूरणीय क्षति ::

प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भूमि को खरीद करने से उक्त भूमि का जरिए रजिस्टर्ड विक्रय नामा के आधार पर 09.07.1968 को नामान्तरण की कार्यवाही के बाद उनका नाम रेकार्ड पर आया अतः अप्रार्थी को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करने से नुकसान /क्षति प्रार्थी को होगी क्योंकि अगर उक्त वर्णित विवादित आराजी का बेचान हो जाता है तो आर्थिक हित प्रभावित होगें। अतः अपूरणीय क्षति प्रार्थी को ही होगी।

(सी) सुविधा का संतुलन ::

प्रथम दृष्टया मामला व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भूमि को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय नामा द्वारा खरीद करने के बाद विभागीय कर्मचारियो की गलती के कारण पुनः बेचान कर्ता का नाम रह जाना व बेचानकर्ता द्वारा उक्त भू मि को अपने भाई के लडके को वसीयत की गयी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन , अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण उपर वर्णित आराजी ग्राम काटून्दा पटवार हल्का काटून्दा जमाबंदी संवत 2072–75 में दर्ज आराजी संख्या 442, 444, 448 एवं 450 किता– 4 कुल रकबा 1.4600 हैक्टर भूमि एवं मौजा बलवंन्तनगर की आराजी संख्या 1988/299 रकबा 1.55 हैक्टर भूमि के रिकोर्ड की यथास्थिति मूलवाद के अंतिम निस्तारण बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.09.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

27/9/19

(रमेश चन्द्र मीणा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेगूँ

Scanned by CamScanner